

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण व्यास
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या : 1315/2026
एफ.आई.आर.संख्या : 232/2026
अंतर्गत धारा : 4/25 आयुध अधिनियम
पुलिस थाना : महावीर नगर, कोटा शहर



उदय पुत्र श्री पवन, निवासी मकान नम्बर 1-एल-24, रंगबाड़ी योजना, पुलिस थाना
महावीर नगर, कोटा (राजस्थान)

.....प्रार्थी अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कोटा

.....विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित:-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुर जैन, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज पुरी, राज्य सरकार की ओर से

आदेश

दिनांक: 08.06.2026

1. प्रार्थी अभियुक्त उदय की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र उसके अधिवक्ता ने पेश किया। नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो न्यायिक अभिरक्षा में है। विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के विरुद्ध पुलिस थाना के द्वारा मिथ्या आधारों पर उक्त बरामदगी बताते हुए दुर्भावना से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जबकि उक्त बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी मौजूद नहीं है जिससे पुलिस की उक्त कार्यवाही को संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार पुलिस की उक्त कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण के साथ संदेहपूर्ण है। पुलिस द्वारा झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जबकि प्रार्थी के पास वक्त तलाशी किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं था



केवल मात्र दुर्भावनावश प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए मिथ्या रूप से जब्ती बताते हुए उक्त प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है जिससे उक्त बरामदगी काल्पनिक स्पष्ट जाहिर होती है। प्रार्थी अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी या अनुसंधान करना शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त कोटा जिले का निवासी है, जिसके फरार होने एवं गवाहान को टेम्परविद किए जाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में इस आशय का जमानत आवेदन-पत्र इस न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है। उन्होंने उक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थी अभियुक्त के आधिपत्य से बिना अनुज्ञा-पत्र के लोहे की एक तेज धारदार छुरी बरामद हुई है, जो गंभीर अपराध है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 04.06.2026 को साबिर हुसैन सहायक उप निरीक्षक ने पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा शहर पर एक फर्द चैकिंग व जब्ती इस आशय की पेश की कि वह मय जाब्ता मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते चैकिंग गुण्डा बदमाशान व अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु समय 6.39 पीएम पर थाने से रवाना होकर गश्त इलाका करते हुए यूआईटी ओडिटोरियम के पीछे नाले पर बालाजी मार्केट पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति पेड़ की आड़ में नजर आया जो पुलिस को अपनी मौजूदगी छिपाकर तेज गति से जाने लगा जिसको हमराही जाब्ता द्वारा रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम उदय शर्मा पुत्र पवन होना बताया, जिसकी नियमानुसार तलाशी ली गयी तो उसकी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में लोहे की एक तेज धारदार छुरी मिली, जिसके संबंध में अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। फर्द चैकिंग व जब्ती तैयार की गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, आदि। उक्त फर्द चैकिंग एवं जब्ती के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 232/2026 अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में संस्थित किया गया जो अन्वेषणाधीन है।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत: Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण संस्थित हुआ है:-



क्र.सं.	प्रकरण सं.	धारा	पुलिस थाना	सी.एस. नंबर	विवरण
1	227/24	302, 34 IPC, 9/25 Arms Act	Mahaveer Nagar	128/2024	Pending Court

6. प्रार्थी अभियुक्त के उपरोक्त आपराधिक अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त पूर्व में 1 अन्य आपराधिक प्रकरण संस्थित हुआ है, जो लंबित होना बताया गया है। अनुसंधान पत्रावली पर प्रार्थी अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धि उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त के आधिपत्य से एक अवैध धारदार छुरी बरामद होना बताया गया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 04.06.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है, जिससे अब कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप है, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे मत में इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त उदय की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. एतद्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 30 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि 15-15 हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित), विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिया जावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

8. इस जमानत आदेश में किये गये विवेचन का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(Criminal) No. 4/2021 In Re Policy Strategy for grant of Bail & SLP(Cri.) No. 529/2021 मामले में दिये गये आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में इस जमानत आदेश की एक प्रति अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, कोटा को जरिये ई-मेल प्रेषित की जाये।

(सत्यनारायण व्यास)

9. आदेश आज दिनांक 08.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)